संख्याः– 570 / XXVII(1)/ 2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:: दिनांक: 22 अप्रैल, 2016

विषयः–चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के प्रत्याशा में तदर्थ रूप से समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम किश्त हेतु देय धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को तदर्थ रूप से वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम किश्त हेतु **₹190497000.00 (₹उन्नीस करोड़ चार लाख सतानवे हजार मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जायेगीः–

i. संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) का मानदेय शासनादेश सं0 2004 / XII / 2011 / 86 (10) / 2005 दिनांक 15 दिसम्बर,2011 में उल्लखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

ii. संक्रमित धनराशि कोषागार से आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

iii. संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी / मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

iv. उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड /सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

v. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता–प्रमाण 30 जून,2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

निदेशक
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
29/4/2016

लेखाकार
3-5-2016
संयुक्त निदेशक
02/05/2016

35
5/5/016

vi. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों प्राप्त होने पर आयोग द्वारा निर्धारित अंश के आधार पर जिला पंचायतों को धनराशि संक्रमित की जायेगी। धनराशि में होने वाली वृद्धि / कमी को अगली किश्तों में समायोजित कर लिया जायेगा।

vii. संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें / परिषदें–03 –राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 570(1) / XXVII(1)/2016 तद्‌दिनांक। 22.04.2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड ।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड , देहरादून।
3– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण।
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक वित्त आयोग निदेशालय कक्ष संख्या 223 विश्वकर्मा भवन, द्वितीय तल सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 570 /XXVII (1)/2016 दिनांकः 22 :अप्रैल, 2016 का संलग्नक।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम किश्त हेतु देय धनराशि का तदर्थ रूप से संक्रमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	13733
2	बागेश्वर	8465
3	चमोली	15459
4	चम्पावत	6265
5	देहरादून	19978
6	हरिद्वार	31345
7	नैनीताल	11385
8	पौड़ी	24438
9	पिथौरागढ़	12195
10	रूद्रप्रयाग	6350
11	टिहरी	12435
12	ऊधमसिंह नगर	19115
13	उत्तरकाशी	9334
	योग	**190497**

(₹उन्नीस करोड़ चार लाख सत्तानवे हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2016-2017

अनुदान शंख्या - **007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)**

लेखाशीर्षक- **3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

02 - पंचायती राज संस्थायें

196 - जिला पंचायतें/परिषदें

03 - राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

00 - राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1604070443	21-APR-2016	0	19978000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1604070445	21-APR-2016	0	11385000	
3	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1604070438	21-APR-2016	0	13733000	
4	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1604070447	21-APR-2016	0	12195000	
5	4000-Gopeshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1604070440	21-APR-2016	0	15459000	
6	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1604070451	21-APR-2016	0	9334000	
7	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1604070446	21-APR-2016	0	24438000	
8	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1604070449	21-APR-2016	0	12435000	
9	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1604070444	21-APR-2016	0	31345000	
10	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1604070450	21-APR-2016	0	19115000	
11	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1604070441	21-APR-2016	0	6265000	
12	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1604070439	21-APR-2016	0	8465000	
13	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1604070448	21-APR-2016	0	6350000	
		Total :			0	190497000	